उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 1948 / सत्तर–1–2024–20(13) / 2022
लखनऊ : दिनांक : 14 नवम्बर, 2025

सचिव / चेयरमैन,
राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी,
मथुरा।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद मथुरा में आपके द्वारा प्रस्तावित के0डी विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2025) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची–2 में क्रमाक 51 पर सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में के0डी0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश के संचालन की अनुज्ञा विषयक अधिसूचना संख्या–1947 / सत्तर–1–2025–20(13) / 2022, दिनांक 14 नवम्बर, 2025 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार–पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन ही उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में के0डी0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
(2) मंडलायुक्त, आगरा मण्डल।
(3) जिलाधिकारी, मथुरा।
(4) कुलपति / कुलसचिव, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
(5) कुलपति / कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(6) अध्यक्ष / सचिव, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
(7) निजी सचिव, मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / न्याय विभाग / राजस्व विभाग / आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / संस्थागत वित्त विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग।
(8) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार द्विवेदी)
अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–1947 / सत्तर–1–2025–20(13) / 2022
लखनऊ : दिनांक : 14 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2025) द्वारा यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) के माध्यम से राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा द्वारा प्रायोजित, के0 डी0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को मथुरा, उत्तर प्रदेश में "के0 डी0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश" के नाम से चलाने की अनुज्ञा देते हैं।

आज्ञा से,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Uchha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1947/70-1-2025-20(13)/2022, dated: 14 November, 2025:

Notification

No. 1947 /70-1-2025-20(13)/2022
Lucknow; Dated: 14 November, 2025

WHEREAS a private University with the name of K.D. University, Mathura, Uttar Pradesh sponsored by Rajiv Memorial Academic Welfare Society, Mathura has been established vide the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act No. 12 of 2019) as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance No. 12 of 2025);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name "K.D. University, Mathura, Uttar Pradesh" in Mathura, Uttar Pradesh.

By order,

(M. P. Agrawal)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संचालन-प्राधिकार पत्र संख्या- 4/51/2025

केoडीo विश्वविद्यालय, मथुरा, उoप्रo

प्रायोजक संस्था- राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अधीन प्रायोजक संस्था 'राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा' द्वारा निजी क्षेत्र में 'केoडीo विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1318/सत्तर-1-2024-20(13)/2022 दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रायोजक संस्था राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा' को आशय-पत्र निर्गत किया गया। प्रायोजक संस्था द्वारा आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र दिनांक 17 जनवरी, 2025 द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-106/79-वि-1-2025-2-क-12-2025 दिनांक 17 अक्टूबर द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची-2 में क्रमांक-50 के नीचे क्रमांक 51 पर के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश का नाम सम्मिलित किया गया है।

अतएव उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश को शैक्षिक सत्र 2025-2026 से संचालित करने की अनुज्ञा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रायोजक संस्था के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश के लिये ग्राम-अकबरपुर, तहसील-छाता, जिला मथुरा में प्रस्तावित की गयी 50.54 एकड़ भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगी। भविष्य में निजी विश्वविद्यालय की भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया जायेगा तथा इसके किसी भी भू-भाग का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपकी संस्था द्वारा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमों, अधिनियमों तथा शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर संचालित महाविद्यालय को उनसे सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से असम्बद्धीकरण कराते हुए शैक्षिक सत्र 2025-2026 से महाविद्यालय के रूप में छात्रों का प्रवेश लेना बंद कर दिया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय की भूमि मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के क्षेत्रान्तर्गत है। विश्वविद्यालय के लिये निर्मित भवन विकास प्राधिकरण/नगर निकाय के नियमों से

असंगत नहीं होगा तथा भविष्य में संभावित निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजक संस्था द्वारा UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 तथा समय-समय पर UGC एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(5) निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्वन्धित सांविधिक संस्था जैसे आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, डिस्टेन्स एजुकेशन काउंसिल, डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया इत्यादि समय-समय पर दिये गये कार्यक्रम, संकाय, संरचनात्मक सुविधायें, वित्तीय सबलता इत्यादि के सम्बन्ध में न्यूनतम शर्तो को पूरी करेगा।

(6) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम स्नातक एवं परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम संरचना, विषय-वस्तु (contents), अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति एवं छात्रों के प्रवेश हेतु योग्यता मानदण्ड सम्मिलित हों, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर सम्पूर्ण सुसंगत सूचनायें इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने से पूर्व उपलब्ध करायी जायेंगी।

(7) प्रवेश प्रणाली एवं फीस का निर्धारण यू0जी0सी0 एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगा।

(8) यदि विश्वविद्यालय का कामकाज असंतोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को बन्द करने हेतु निर्देशित किया जायेगा, जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व से उसमें नामांकित छात्रों के हितों को सुरक्षित किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पांच वर्षो में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें (उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर) तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित किया जायेगा।

(10) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति की जायेंगी एवं प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल-कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था की जायेगी।

(12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(13) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित की जायेगीं तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जायेंगी।

(14) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य-प्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम 03 माह में बनाये जायेंगे।

(15) भू राजस्व से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-समय पर दिये गये मा0 न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत यदि भविष्य में प्रायोजक संस्था द्वारा धृत भूमि की अधिकारिता/अन्तरण के संबंध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो प्रायोजक संस्था द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायोजक संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ट) से (द) में उल्लिखित शर्तो, जिनकी पूर्ति किये जाने के सम्बन्धी शपथ-पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2025 द्वारा वचनबद्धता दी गयी थी, की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव